राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1895/2015/उदयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत–बी, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स प्रीमियम पॉली एलॉयज प्रा0 लि0,
जी–219 कलड़वास, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 18/05/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 217/ वैट/14–15/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–डी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 28.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2010–11 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2013 को पारित किया गया था जिसमें अन्य बिन्दुओं के अलावा विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था परन्तु उस आदेश के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः सुनवाई कर कर निर्धारण किये जाने का निर्णय करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 08.05.2014 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया जिसमें वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत रूपये 1,00,000/– की शास्ति वार्षिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के अपराध में आरोपित की गई जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने की दिनांक पर अधिनियम की धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी क्योंकि राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 के तहत दिनांक 01.04.2011 से धारा 58 को विलोपित कर दिया गया है तथा यह भी निर्णीत किया गया था कि बिना विशिष्ठ नोटिस जारी किये धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती थी।

लगातार.....2

3. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया परन्तु इस बिन्दु पर कोई जवाब नहीं दिया कि वर्ष 2010–11 के प्रथम कर निर्धारण दिनांक 28.03.2013 में भी वेट अधिनियम की धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी ऐसी हालत में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर शास्ति का आरोपण कैसे किया जा सकता है। इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर धारा 58 में शास्ति आरोपित की गई थी कि व्यवसायी एक लिमिटेड कम्पनी है और उनका ओनलाईन रिटर्न प्रस्तुत करने का दायित्व था जो पूरा नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में यह पुष्टि की हुई है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वार्षिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे परन्तु दिनांक 01.04.2011 के बाद कर निर्धारण के समय वेट अधिनियम की धारा 58 अस्तित्व में नहीं होने से उस धारा के तहत किसी भी तरह की शास्ति का आरोपण विधिक रूप से शून्य माना जायेगा।

4. फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसकी पुष्टि की जाती है एवं विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

10/5/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य